

विषय-सूची

● सामान्य धाराएँ.....	3-9
● भाग-1 : मुख्य मामले	10-12
● भाग-2 : धारा 1 से 75 तक.....	13-26
— अध्याय 1 : प्रस्तावना	
— अध्याय 2 : साधारण स्पष्टीकरण	
— अध्याय 3 : दण्डों के विषय में	
● भाग-3 : धारा 76 से 120 ख तक.....	27-50
— अध्याय 4 : साधारण अपवाद	
— अध्याय 5 : दुष्प्रेरण के सम्बन्ध में	
— अध्याय 5 क : आपराधिक षड्यन्त्र	
● भाग-4 : धारा 121 से 229 तक.....	51-61
— अध्याय 6 : राज्य के विरुद्ध अपराध	
— अध्याय 7 : सेना, नौसेना एवं वायुसेना से सम्बन्धित अपराधों के विषय में	
— अध्याय 8 : लोक प्रशान्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में	
— अध्याय 9 : लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्बन्धित अपराधों के विषय में	
— अध्याय 9 क : निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में	
— अध्याय 10 : लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के सम्बन्ध में	
— अध्याय 11 : मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में	
● भाग-5 : धारा 230 से 298 तक.....	62-67
— अध्याय 12 : सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से सम्बन्धित अपराधों के सम्बन्ध में	
— अध्याय 13 : बाँटों और मापों से सम्बन्धित अपराधों के विषय में	
— अध्याय 14 : लोक स्वास्थ्य, क्षेत्र, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में	
— अध्याय 15 : धर्म से सम्बन्धित अपराधों के विषय में	
● भाग-6 : धारा 299 से 377 तक.....	68-88
— अध्याय 16 : मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में	
● भाग-7 : धारा 378 से 462 तक.....	89-102
— अध्याय 17 : सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में	
● भाग-8 : धारा 463 से 511 तक.....	103-112
— अध्याय 18 : दस्तावेजों और सम्पत्ति चिह्नों सम्बन्धी अपराधों के विषय में	
— अध्याय 19 : सेवा-संविदाओं के आपराधिक भंग के विषय में	
— अध्याय 20 : विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में	
— अध्याय 20 क : पति या पति के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में	
— अध्याय 21 : मानहानि के विषय में	
— अध्याय 22 : आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ के विषय में	
— अध्याय 23 : अपराधों को करने के प्रयत्न के विषय में.	
● महत्वपूर्ण निर्णय (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)	113-117
● समस्याएँ (वस्तुनिष्ठ प्रश्न).....	118-129
● विविध प्रश्न.....	130-133

(iv)

भाग-1

सामान्य सिद्धान्त (धारा 1-120ख) 134-139

भाग-2

राज्य के विरुद्ध तथा मिथ्या साक्ष्य एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध (धारा 121-298) 140-141

भाग-3

शरीर एवं सम्पत्ति के अपराध (धारा 299-462) 142-149

भाग-4

मानहानि, अभिप्राय एवं प्रयत्न (धारा 463 से धारा 511) 150-152

